

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

शुद्धि पत्र

विभागीय राज्योदश सं०- 160, दिनांक- 27.03.2018 एवं आवंटनादेश सं०- 161, दिनांक- 27.03.2018 में अंकित तालिका के क्रमांक- 39 से 44 पर अंकित नगर पंचायत, मखदुमपुर की योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिले के जिला शहरी विकास अभिकरण के स्थान पर नगर पंचायत, मखदुमपुर द्वारा किया जाएगा।

2. उक्त राज्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

*26-07-18*  
(जय प्रकाश मंडल),  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-02/2018-4084 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-30/07/18  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/मुख्य अभियंता, बुडा/कार्यपाक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना-1/योजना एवं विकास विभाग, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०प्रबंधक, को वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*26-07-18*  
सरकार के विशेष सचिव।